प्रेषक,

आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल,
मुरादाबाद ।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली ।

संख्या— 750 /सत्ताईस—05 (2008—09) जे0ए0 दिनांक : फरवरी 10 ,2010

विषय :— **नवीन महाविद्यालय/संस्थान एवं पाठ्यक्रम/विषय की स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक से संबंधित आपके पत्रांक रू0वि0/2009/3231—3232 दिनांक 23—11—2009 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या—2284/सत्तर—2—2009—2(166)/2002 दिनांक 29—06—2009 में प्रतिनिधायित शक्तियों के फलस्वरूप गठित समिति ने सम्यक विचारोपरान्त यशिका कन्या डिग्री कालेज मानपुर, जिला मुरादाबाद को कला संकायान्तर्गत बी0ए0 पाठ्यक्रम में हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं ड्रांग पेन्टिंग विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है :—

1— उक्त पाठ्यक्रम का संचालन राज्य सरकार एवं तत्पश्चात् विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी ।

2— उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्थागत शासनादेश संख्या—3075/ सत्तर—2—2002—2(166)/2002 दिनांक 27—09—2002, शासनादेश संख्या—3411/सत्तर—2—2002—2(166)/2002 दिनांक 11—10—2002, शासनादेश संख्या—193/सत्तर—2—2003—2—(166)/2002 दिनांक 13—01—2003, शासनादेश संख्या—585मु0मं0/सत्तर—2—2005—2(166)/2002 दिनांक 21—10—2005, शासनादेश संख्या—743मु0मं0/सत्तर—2—2006—2(166)/2002 दिनांक 07—11—2006, शासनादेश संख्या—1140/सत्तर—3—2009 दिनांक 10—07—2009 एवं शासनादेश संख्या—1528/79—6—2008 दिनांक 20—07—2009 तथा समय—समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताएँ एवं औपचारिकताएँ पूर्ण कर लेगी ।

3— उक्त संस्थान भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से मांग करेगी और न ही उनके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी ।

4— संस्थान की किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नही होगा ।

5— राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।

6— उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवं सम्बद्धता के समय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी ।

7— मानक अनुसार आवश्यक भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर खतौनी की प्रति सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित कराकर अथवा भूमि किसी प्राधिकरण से क्रय किये जाने की स्थिति में लीज डीड की प्रमाणित प्रति सम्बद्धता के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करायी जायेगी ।

8— उक्त पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू—अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम मलवाड़ा उर्फ मानपुर, तहसील एवं जिला मुरादाबाद में स्थित गाटा संख्या—294 क्षेत्रफल 1.8620 है0 के बकदर भाग में से 1.25 एकड़ भूमि में मानक अनुसार निर्मित भवन में ही संचालित किया जायेगा । अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी । उक्त भूमि को सम्बद्धता के प्रस्ताव के पूर्व महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया जायेगा ।

9— ट्रस्ट/सोसायटी एक प्रबन्ध समिति का गठन कर लेगी और उसके सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं होंगे और भूमि महाविद्यालय के नाम विधितः अन्तरित कर दी जायेगी ।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त।

संख्या व दिनांक — उपरोक्त ।

प्रतिलिपि — निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

प्रबन्धक
यशिका कन्या डिग्री कालेज
मानपुर, (मुरादाबाद)

1— सचिव, उ0 प्र0 शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग—2, लखनऊ ।

2— निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0, इलाहाबाद ।

3— क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली ।

4— जिलाधिकारी, मुरादाबाद ।

5— प्रबन्धक/सचिव, यशिका कन्या डिग्री कालेज, मानपुर, जिला मुरादाबाद ।